:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 9/22

दायर दिनांकः– 18.02.2022
निर्णय दिनांकः– 09.09.2022

1. श्री दलीचन्द पिता नाथु जाति कलाल निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

बनाम

1. श्री रामशंकर पिता खेमजी जाति पाटीदार निवासी साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान
2. श्री भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

दावा अन्तर्गत धारा 251 क राज. काश्त. अधिनियम

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी गांव साकोदरा पटवार हल्का साकोदरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है।
यह कि वादी के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी मौजा साकोदरा में खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 1082, 1083, 1084, रकबा 0.3398 है0 होकर स्थित है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।
यह कि वादी अपने कब्जे काश्त की कॉलम संख्या दो में अंकित आराजी में मौज साकोदरा के खसरा नम्बर 1061 किस्म बिलानाम रास्ता की भूमि होकर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी आराजी मौजा साकोदरा खसरा नम्बर 1072/1 रकबा 0.4450 है0 में 60 वर्षों से आवाजाही करते हुए वादी अपनी खातेदारी आराजी मौजा साकोदरा में खाता संख्या 133, खसरा नम्बर 1082, 1083, 1084 रकबा 0.3398 है0 किस्म सुखी प्रथम प्रवेश करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 1072/1 कृषिभूमि में पिछले 60 बर्षो से वादी के पूर्वज आना जाना करते आ रहे है। जिस पर वादी ने उक्त रास्ते को नक्शा टेस में दर्शित करने प्रतिवादी संख्या 1 से बात की तो रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने इंकार कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है। जिससे वाद के जरीये प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी आराजी में रास्ता दर्ज करने वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जो मयाद अवधि में पेश है।
वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी 1 बाद तामिल उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार द्वारा वकालतनामा पेश किया गया । प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार चिखली ने दिनांक 17.06.2022 को जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी (लेण्ड हॉल्डर/तहसीलदार) के जवाब के अनुसार मौजा साकोदरा के खाता संख्या 1337 खसरा नम्बर 1072/1 व 1082, 1083, 1084 सटे हुये है एवं बिलानाम रास्ता खसरा नम्बर 1061 से प्रतिवादी का आराजी नम्बर 1071/1 लगता हुआ है तथा वादी की भूमि में आवाजाही हेतु प्रतिवादी के उक्त खेत से होकर गुजरना पडता है। प्रतिवादी ने रास्ते की भूमि अपने खातेदारी में से नहीं देने की इच्छा जतायी। उक्त आराजी से 60 बाय 4 मीटर अर्थात 240 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु खातेदार से ली जा सकती है। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता द्वारा लम्बे समय से जवाब नहीं देने पर जवाब बन्द किया गया।
तहसीदार चिखली से रास्ते का प्रस्ताव मंगवाया गया। दिनांक 09.09.2022 को तहसीलदार चिखली से रास्ते का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो कि आराजी नम्बर 1082, 1083, 1084 में वादी की आवाजाही हेतु खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 श्री रामशंकर पिता खेमजी पाटीदार ग्राम साकोदरा के खसरा नम्बर 1072/1 कृषि भूमि से खसरा नम्बर 1061 बिलानाम रास्ता से होकर तहसीलदार चिखली प्रस्ताव में संलग्न ट्रेस अनुसार प्रचलित रास्ते से होकर गुजरता है।
वाद पत्र का गहन अध्ययन किया गया। तहसीलदार के जवाब पर वादी के वाद में वर्णित पहलूओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के आधार पर उक्त रास्ता लम्बे समय से चला आ रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी

अतः राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अन्तर्गत डीएलसी दर की दुगुना राशि जमा किये जाने की शर्त पर रास्ता अधिकतम 30 फीट तक दिये जाने के प्रावधान होने से वाद वादी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार प्रस्ताव अनुसार मौजा साकोदरा के खातेदार श्री रामंशकर पिता खेमजी पाटीदार के खाता संख्या 377 खसरा नम्बर 1072/1 रकबा 0.4450 है0 में लम्बाई 60 मीटर, चौडाई 4 मीटर कुल 240 वर्गमीटर को राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार चिखली उक्त आदेशित की डीएलसी दर की दो गुना राशि प्रतिवादी (खातेदार) श्री रामशंकर पिता खेमजी पाटीदार को भुगतान करने के पश्चात ही राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर